

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 27/2020

तारीख रजू 08.01.2020

बीरबल पुत्र डाल्या जाति बैरवा निवासी अनियाला तह.खण्डार।

---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

----- रेस्पो०

निर्णय

दिनांक...25/2/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 240/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम अनियाला के आराजी खसरा नम्बर 1006/13 रकबा 02.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बहड पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1006/13 रकबा 0.200 बीघा किस्म गैर मुमकिन बहड पर अपीलान्त का कभी भी कब्जा नहीं रहा बल्कि अपीलान्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के पास उक्त विवादित आराजी होने के कारण पटवारी हल्का ने बिना नाप किये हुए कयास मात्र के आधार पर रिपोर्ट अतिक्रमण पेश है जिसकी सुनवाई हेतु अपीलान्त को नोटिस व समय भी नहीं दिया गया है यदि अपीलान्त को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाता तो अपीलान्त भूमि पर अपना कब्जा नहीं होने सम्बन्धी साक्ष्य पेश करता। यह है कि अदालत मातहत ने अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है क्योंकि अपीलान्त को कभी उक्त भूमि से मौके से भौतिकरूप से स्वतंत्र गवाहों के सामने बेदखल नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा स्वतंत्र गवाहों के साक्ष्य भी नहीं लिये हैं केवल पटवारी हल्का के एक मात्र बयान को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त

12
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पाश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुये अपीलान्ट को सजा के दण्ड से दण्डित किया है किन्तु पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट की स्वयं की पत्नी को तामील होने पर भी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 24.11.19 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक...25/2/2021...को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर